न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़
बृज किशोर बनाम सरकार
केस नं. - 293/2024

2/8/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली बहस अंतिम हेतु दिनांक 20/8/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

20/8/24 पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता गण द्वारा अभ्योलिन का बहिष्कार करने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 5/9/24 पेश हो। 1.

5/9/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 24/9/24 को पेश हो। 1.

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

24/9/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली आदेश के लिये आज ली गई। पत्रावली में उपलब्ध प्रा.पत्र, नक्शा, एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने व वकील प्रार्थी की बहस श्रवण करने पर प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 रा. काश्त. एक्ट को स्वीकार किया जाता है तथा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया।
निर्णय आज खुले इजलास सुनाया गया।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नियमानुसार नकल हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी

(1/2)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण,
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
293/2024	27/06/2024	24/09/2024

1. बृजबिहारी पुत्र हनुमान सहाय जाति माली निवासी ग्राम भानपुरकला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर। प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर राज0। अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक

श्री पुष्पेन्द्र शर्मा : — वकील प्रार्थी

प्रार्थनापत्र बाबत् नक्शा दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 131,132, 136 एल0आर0 एक्ट

—:निर्णय :—

प्रार्थी ने यह प्रार्थनापत्र विरूद्ध अप्रार्थी नक्शा दुरूस्तीकरण अन्तर्गत धारा 131,132,136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत् पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम भानपुर कलां पटवार मण्डल भानपुर कलां, तहसील जमवारामगढ के खसरा नम्बर 748/4 रकबा 0.4679 है0 सम्पूर्ण स्थित है। प्रार्थी की भूमि के मूल खसरा नम्बर 748 रहे है। जिसका तकासमा होने उपरान्त प्रार्थी के नाम से खसरा नम्बर 748/4 कायम होकर चले आ रहे है। एकीकरण नक्शें में प्रार्थी की भूमि मूल खसरा नम्बर 748 के पश्चिम दिशा की तरफ खसरा नम्बर 749 की तरमीम स्पष्ट अंकित रही है। प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 748/4 के पश्चिम दिशा की तरफ स्थित सरकारी भूमि खसरा नम्बर 749 में मौका स्थिति अनुसार डामर सडक निर्मित है। जिसमें से होकर अनेक गांवो का आवागमन चला आ रहा है तथा प्रार्थी डामर सडक जो कि खसरा नम्बर 749 में निर्मित है, उसके लगवा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 748/4 के चारों तरफ तारबन्दी करवाकर वर्षो से साधिकार काबिज काश्त चला आ रहा है। ग्राम भानपुर कलां में अभी एकीकरण का कार्य नही होने से साबिका खसरा नम्बर ही चले आ रहे है। अभी हाल ही में नवीन राजस्व रिकार्ड नक्शा संधारित करते समय प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 748/4 के पश्चिम दिशा की तरफ मौके पर खसरा नम्बर 749 में निर्मित सडक की जगह पर खसरा नम्बर 749/1. गैर खातेदारान की त्रुटिपूर्ण तरमीम कर दी गई है। नवीन नक्शा कायम करते समय मौका स्थिति अनुसार निर्मित सडक की तरमीम नही करके सडक की जगह पर अन्य तरमीम करके राजस्व कर्मचारियों ने भारी त्रुटि की है। जबकि साबिका एकीकरण नक्शा में खसरा नम्बर 749/1 की कही पर भी तरमीम नही रही है। जो कि मौका स्थिति से भिन्न त्रुटिपूर्ण तरमीम होने से काबिले दुरूस्ती योग्य है। अतः ग्राम भानपुर कलां में नवीन नक्शा कायम करते समय प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 748/4 के पश्चिम दिशा की तरफ खसरा नम्बर 749 मे निर्मित सडक की जगह पर अन्य गैर खातेदारान खसरा नम्बर 749/1 की त्रुटिपूर्ण तरमीम को मौका स्थिति अनुसार निर्मित सडक खसरा नम्बर 749 अनुसार तरमीम दुरूस्त करने के आदेश फरमावें।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीग की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी (पेरोकार सरकार तहसीलदार) ने उपस्थित होकर अपने पत्र कमांक/एल0आर0/2024/4462 दिनांक 28.08.24 द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया गया कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड खसरा नम्बर 748/4 रकबा 0.4679है0 प्रार्थी की भूमि है। एवं मुताबिक राजस्व रिकार्ड अनुसार है। डीआईएलआरएमपी से पूर्व के नक्शें में खसरा नम्बर 749 की तरमीम नही है। परन्तु वर्तमान राजस्व नक्शें में खसरा नम्बर 749/2 में डामर सडक निकल रही है। खसरा नम्बर 749/2 की तरमीम गैर खातेदारी के नाम कर दी गई है। खसरा नम्बर 749 की डीआईएलआरएमपी से पूर्व नक्शें में तरमीम नहीं थी। डीआईएलआरएमपी की तरमीम करते समय खसरा नम्बर 749 की जगह 749/1 की जगह पर 749 की तरमीम कर दी गई। वर्तमान नक्शें में 749 गैर खातेदारों के नाम दर्ज रिकार्ड है। परन्तु उक्त खसरा नम्बर में डामर सडक लगभग 22–23 वर्ष पूर्व बनी हुई है। उक्त खसरा नम्बर 749 में गैर खातेदारों का कब्जा काश्त नही है। अतः वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 749 की जगह 749/1 तथा 749/1 की जगह 749 की तरमीम किया जाना अपेक्षित है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनने व पैराकार सरकार के जवाब एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर हम प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132,136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट को स्वीकार करना उचित समझते है ।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132,136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट को स्वीकार किया जाकर मुताबिक रिपोर्ट अनुसार वादग्रस्त भूमि ग्राम भानपुर कलां, पटवार हल्का भानपुर कलां, तहसील जमवारामगढ में स्थित खसरा नम्बर 749 की जगह 749/1 तथा 749/1 की जगह 749 के अनुसार नवीन नक्शें मे तरमीम दुरूस्त करने के आदेश तहसीलदार जमवारामगढ को दिये जाते हे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफतर हो

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 24.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़